भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4267

दिनांक 20 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

प्रत्यारोपण के लिए अंग की मांग और आपूर्ति में अंतर

4267. श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर गुर्दे और यकृत जैसे महत्वपूर्ण अंगों के प्रत्यारोपण की मांग-आपूर्ति में अंतर और तमिलनाडु जैसे राज्यों में भारी विसंगतियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा राज्यवार क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ख) क्या तमिलनाडु जैसे राज्यों, जहां अंग दान की दरें अधिक हैं, से प्राप्त सफल कार्यनीतियों को राष्ट्रीय अंग दान कार्यक्रम में शामिल करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार मृतक व्यक्तियों के अंगदान में ऑप्ट-आउट प्रणाली पर विचार कर रही है और यदि हां, तो संबद्ध समय-सीमा क्या है तथा नैतिक और सांस्कृतिक चिंताओं को दूर करने के लिए अपेक्षित चुनौतियां और रणनीतियां क्या हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख) अंग प्रत्यारोपण हेतु मांग-आपूर्ति के अंतर को समाप्त करने की मुख्य रूप से जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है।

तथापि, भारत सरकार ने मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम (थोटा), 1994 (वर्ष 2011 में यथा संशोधित) अधिनियमित किया है, और 2014 में वर्ष मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण नियमावली

अधिसूचित किए हैं। उपर्युक्त अधिनियम और नियमों में देश में अंग दान संवर्धन के लिए निम्नलिखित प्रावधान हैं:

- केवल-पुनर्प्राप्ति केंद्र का पंजीकरण;
- निकट संबंधी की परिभाषा का विस्तार करके इसमें दादा-दादी और पोते-पोतियों को भी शामिल करने के लिए परिभाषा का विस्तार;
- अंग प्रत्यारोपण/पुनर्प्राप्ति करने वाले अस्पतालों में प्रत्यारोपण समन्वयकों का अनिवार्य प्रावधान;
- गहन परिचर्या इकाइयों में भर्ती संभावित दान दाताओं से अंग दान के लिए अनिवार्य अनुरोध;
- न्यूरोसर्जन/न्यूरोलॉजिस्ट उपलब्ध न होने पर एनेस्थेटिस्ट/इंटेंसिविस्ट द्वारा ब्रेन स्टेम डेथ के प्रमाणीकरण की अनुमति देना;
- प्रशिक्षित तकनीशियनों द्वारा नेत्र/कॉर्निया पुनर्प्राप्ति की अनुमति देना;
- जैविक रूप से असंगत निकट संबंधी दान दाताओं को आदान-प्रदान की अनुमति देना।

थोटा के तहत केंद्र सरकार को दिए गए अधिदेश के अनुसरण में, नेटवर्किंग संगठनों की एक त्रिस्तरीय संरचना स्थापित की गई है। इस संरचना में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (नोट्टो), क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (रोट्टो) और राज्य स्तर पर राज्य अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (सोट्टो) शामिल हैं, जो मृतक दाताओं से अंग और ऊतक प्राप्त करने और प्रतीक्षारत प्राप्तकर्ताओं को उनके आवंटन की एक कुशल और संगठित प्रणाली प्रदान करते हैं। अब तक नोट्टो की स्थापना नई दिल्ली में की गई है, जबकि चंडीगढ़, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और गुवाहाटी में 5 रोट्टो और विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 21 सोट्टो स्थापित किए गए हैं। अंग/ऊतक प्रत्यारोपण, अंग पुनर्प्राप्ति और ऊतक बैंकिंग करने वाले 900 से अधिक संस्थान और अस्पताल इस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। नोट्टो अंग प्राप्तकर्ताओं और प्रदाताओं की एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री का रखरखाव भी करता है।

नोट्टो सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल करते हुए परामर्श प्रक्रिया का पालन करता है, जिसमें उच्च दान दर वाले राज्य (जैसे तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र), गैर-सरकारी संगठनों, पेशेवर समाजों और अन्य हितधारकों सहित विभिन्न संगठन शामिल हैं। देश भर में एक समान कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए नीतियों और दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार करने और जारी करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं और सफल रणनीतियों को अपनाया और शामिल किया जाता है। तथापि, नोट्टो वेबसाइट पर उपलब्ध नोट्टो की नीतियों और दिशानिर्देशों को अपनाना और लागू करना राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकार क्षेत्र में है।

भारत सरकार राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम (एनओटीपी) को लागू कर रही है, जिसका उद्देश्य जरूरतमंद नागरिकों के लिए अंग प्रत्यारोपण तक पहुंच में सुधार करना है। एनओटीपी के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रो को रोट्टो/ नोट्टो की स्थापना, सार्वजनिक क्षेत्र में अवसंरचना में वृद्धि जैसे अंग प्रत्यारोपण/पुनर्प्राप्ति केंद्र/ऊतक बैंक, मेडिकल कॉलेजों और ट्रॉमा सेंटरों द्वारा प्रत्यारोपण समन्वयकों की भर्ती, मृतक दाताओं का रखरखाव, अंग परिवहन, प्रत्यारोपण के बाद प्रतिरक्षा-दमनकारी दवाएं, जागरूकता पहल, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आदि के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है।

अंगदान के लिए सूचना, टेली-परामर्श और समन्वय में मदद प्रदान करने के लिए एक वेबसाइट (www.notto.mohfw.gov.in) कार्यशील है, साथ ही एक 24x7 कॉल सेंटर है, जिसमें एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर (1800114770) है। नोट्टो, रोट्टो, सोट्टो और संस्थाएँ जागरूकता पैदा करने के लिए देश भर में कार्यकलापों जैसे कि हर साल भारतीय अंगदान दिवस मनाना, सेमिनार, वेबिनार, कार्यशालाएँ, वाद-विवाद, खेल आयोजन, वॉकथॉन, मैराथन, नुक्कड़ नाटक, कानूनी संगोष्ठी, नोट्टो वैज्ञानिक संवाद आदि आयोजित करती हैं।

(ग): वर्तमान में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में अंग दान में ऑप्ट-आउट प्रणाली शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****